राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांकः प. 1(59)एम.ई. / ग्रुप–1 / 1996 जयपुर, दिनांक 2 5 SEP 2018

आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अनुशंषा पर महामहिम राज्यपाल महोदय निम्नांकित अभ्यर्थियों को वरिष्ठ प्रदर्शक, बायोकेमेस्ट्री के पद पर पे–मेट्रिक्स में लेवल 14 (56100–177500) में अस्थाई रूप से एक वर्ष के परिवीक्षाकाल पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उनके नाम के सम्मुख अंकित मेडिकल कॉलेज में नियुक्ति प्रदान करते है। ये चिकित्सक पूर्व से ही नियमित राज्य सेवा में कार्यरत है। अतः वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1(2)एफडी / रूल्स / 06 दिनांक 13.03.2006 के अनुसार इनके वेतन–भत्ते आदि देय होगें :–

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम व पता	मेरिट संख्या	जन्म तिथि	वर्ग	पदस्थापन स्थान
1.	डॉ0 हेमलता पुरोहित पत्नी डॉ0 रामेश्वर व्यास, राम मन्दिर की गली, विश्वकर्मा गेट के पास, बीकानेर (राज.) पिन कोड–334001	R-10	01.05.1990	GE, WE	मेडिकल कॉलेज जोधपुर
2.	डॉ0 श्याम सुन्दर मित्तल पुत्र श्री राधेश्याम मित्तल C/o राधेश्याम टैन्ट हाऊस, गुलाब बाग के सामने, करौली, जिला – करौली (राज.) पिन कोड–322241	R-11	23.06.1978	GE, RG	मेडिकल कॉलेज जयपुर
3.	डॉ0 दीपेन्द्र कुमार पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार, मु0पो0–कसवाली, वाया–बलारा, तहसील–लक्ष्मणगढ़, जिला–सीकर (राज.) पिन कोड –332001	R-18	31.12.1985	BC, RG	मेडिकल कॉलेज जोधपुर

उपरोक्त पदों पर नियुक्ति राजस्थान चिकित्सा सेवा (कॉलेज शाखा) नियम, 1962 की पद्धति एवं प्रावधान, शर्तो, सेवा नियमों व राज्य सरकार के द्वारा समय–समय पर इस संबंध में जारी आदेशों के अनुसार ही शासित होगी।

यह नियुक्ति कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र / आदेश संख्या प. 8(1)कार्मिक / क–2 / 2003 दिनांक 06.09.2003 व वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 15(7)वित्त / नियम / 97 दिनांक 14.01.2004 एवं वित्त (नियम) विभाग के अनुबोधक (Memorandum) क्रमांक 13(1)वित्त / नियम / 2004 दिनांक 27.03.2004 के अनुसार अंशदायी पेंशन योजना के अन्तर्गत होगी एवं वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.6(5)वित्त / नियम / 2004 दिनांक 27.07.2004 के अनुसार चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावे शासित होगें।

निरन्तर.......2

उपरोक्त अभ्यर्थियों के चरित्र सत्यापन करा लिया गया है। अभ्यर्थियों की जन्मतिथि उनके सैकेण्डरी स्कूल प्रमाण पत्र (आर.पी.एस.सी. से प्राप्त छाया प्रति के आधार पर) से सत्यापित कर ली गयी है।

इन्हें आदेश जारी होने की तिथि से चार सप्ताह के भीतर पदस्थापित स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा यह आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जायेगें।

उपरोक्त नियुक्ति सेवा नियमों के अध्यधीन निबन्धकों एवं शर्तो तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अध्यधीन होगी।

आदेश से

(मोहन लाल वर्मा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपी निम्नांकित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्रांक प. 7(36)भर्ती / गोपनीय / 2013–14 / 435 दिनांक 23.01.2018, प. 7(36)भर्ती / गोपनीय / 2013–14 / 30 दिनांक 11.04.2018 एवं प.7(36)भर्ती / गोपनीय / 2013–14 / 102 दिनांक 13.06.2018, के संदर्भ में।
4. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा, जयपुर।
5. प्रधानाचार्य एवं नियत्रंक, मेडिकल कॉलेज, अजमेर / बीकानेर / जयपुर / जोधपुर / कोटा / उदयपुर।
6. संबंधित अभ्यर्थी को रजिस्टर्ड डाक द्वारा।
7. रक्षित पत्रावली।

(महेश व्यास)
शासन सहायक सचिव